छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

फरवरी–मार्च, 2021 सत्र

सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021 को
माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण पर
श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य द्वारा
दिनांक 22 फरवरी,2021 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
16. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
17. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. राज्य में धान खरीदी की तारीख बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. शहरी आवासहीन परिवारों को 02 कमरों का मकान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
3. आउट सोर्सिग किस–किस विभाग में कहां–कहां बंद हुई, का उल्लेख नहीं है ।
4. पिछले एक वर्ष में कितने शहर कचरा मुक्त बने व वर्ष 2020–2021 में कितने शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य है, उसका उल्लेख नहीं है ।
5. राजीव गांधी न्याया योजना की चौथी किस्त कब तक दी जावेगी, का उल्लेख नहीं है ।
6. इस वर्ष राजीव गांधी न्याय योजना में भुगतान कब तक किया जावेगा, का उल्लेख नहीं है।
7. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. 10 लाख युवाओं को न्यूनतम 2500 रूपये प्रतिमाह देने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रत्येक परिवार को 1 रूपये की दर से 35 किलो चांवल देने का उल्लेख नहीं है।
10. बीपीएल परिवार को नियंत्रित दर पर तेल व दाल देने का उल्लेख नहीं है।
11. यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रारंभ करने व बाह्य रोगियों को दवाई व जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
12. उच्च चिकित्सा विशेषज्ञ की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
13. कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा देने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार को घर व बाड़ी हेतु भूमि देने का उल्लेख नहीं है ।
15. पेसा कानून लागू करने का उल्लेख नहीं है।
16. वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से होने वाली मौतों के पश्चात भी वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
17. राज्य में सीमेंट के दामों में अत्याधिक वृद्धि की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
18. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम केवईया से परसदा पहुंच मार्ग निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
19. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम हरदी से किरना पहुंच मार्ग निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

20. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम मचदा से लमती पहुंच मार्ग निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

21. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली नयापारा से रापाझोरी पहुंच मार्ग निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

22. ग्राम पंचायत परसदा (म), जिला बिलासपुर में शा.पूर्व मा. शाला खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

23. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम तरेली के हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

24. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

25. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम भठली के प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

26. बिलासपुर में वार्ड क्रमांक 08 में मीडिल स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

27. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम चुनचुनिया में नया पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

28. विकासखंड बिल्हा, जिला – बिलासपुर के ग्राम बिटकुली में नया आंगनबाड़ी खोलने का उल्लेख नहीं है।

29. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम खम्हारडीह के प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

30. जिला–बिलासपुर विकासखंड–बिल्हा , चकरभाठा–बिल्हा मार्ग से इन्द्रपुरी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

31. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम लमनी से बासीन पहुंच मार्ग निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

32. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम चुनचुनिया में उचित मूल्य की दुकान खोलने का उल्लेख नहीं है।

33. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम चुनचुनिया में नया आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

34. क्लिंकर को प्रदेश से बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

35. संपूर्ण प्रदेश के गुणवत्ताविहीन राज्य मार्ग निर्माण कार्यो को सुधारने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

36. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर मानदेय एवं अन्य सुविधाएं प्रदाय किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

37. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल जरेली को हायर सेकण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

38. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल भरेवा को हायर सेकण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

39. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल छिन्दभोग को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

40. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल मर्राकोना को हायर सेकण्डरी में उन्नयन किए जाने का उल्लेख नहीं है।

41. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के पूर्व माध्यमिक शाला धमनी को हाईस्कूल में उन्नयन किए जाने का उल्लेख नहीं है।

42. जिला बिलासपुर के विकासखंड मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला कोरमी को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

43. विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला झुलनाकला को हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

44. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला सांवा को हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

45. विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला नगपुरा को हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

46. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला धूमा को हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

47. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला टिकैतपेन्ड्री को हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

48. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के हायर सेकण्डरी स्कूल तिफरा में 05 अतिरिक्त कक्ष बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

49. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के हायर सेकण्डरी स्कूल सारधा में नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

50. नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 09 के हायर सेकण्डरी स्कूल परसदा हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

51. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के हायर सेकण्डरी स्कूल लिमतरी हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

52. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल खुटेरा हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

53. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल मुण्डादेवरी हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

54. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हायर सकेण्डरी स्कूल चुनचुनीया हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

55. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हायर सेकण्डरी स्कूल सकेत हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

56. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हायर सेकण्डरी स्कूल गंरादारी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का उल्लेख नहीं है।

57. जिला बिलासपुर विकासखंड बिल्हा के धमनी से चकरभाठा बस्ती होते हुए एयरपोर्ट पहुंच मार्ग का निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

58. जिला बिलासपुर विकासखंड बिल्हा मेन रोड से बुन्देली बस्ती तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

59. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल सरगांव में अतिरिक्त कक्ष निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

60. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के प्राथमिक शाला पीपरलोड को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

61. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली की प्राथमिक शाला अमलडीहा को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

62. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली की प्राथमिक शाला तुमाढ़ेठा को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

63. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली की पूर्व माध्यमिक शाला सेंदरी को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

64. शासकीय कर्मचारियों हेतु क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान लागू करने का उल्लेख नहीं है।

65. महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

66. बिल्हा में ऑडिटोरियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

67. नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

68. चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस किए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

69. छात्रों को सायकल एवं छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन करने का उल्लेख नहीं है।

70. राज्य में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का कोई उल्लेख नहीं है।

71. पंचायतों व नगरीय निकायों को दिव्यांगों को मनोनीत करने का उल्लेख नहीं है।

72. मदकूदीप एवं ताला पर्यटन स्थलों के विकास किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

73. वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

74. पाराटोला को अन्य योजनाओं में सम्मिलित कर सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

75. नक्सल समस्या के समाधान व वार्ता हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

76. लोकपाल के अधीन मुख्यमंत्री को लाने का उल्लेख नहीं है।

77. अमूल मॉडल में सभी जिलों में जिला सहकारी समिति निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

78. पेयजल एवं सिंचाई योजना का सर्वे कार्य उचित ढंग से किये जाने का उल्लेख नहीं है।

79. गुमा मुख्य मार्ग से सेवती तक डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

80. ग्राम उमरिया अंतर्गत मेनरोड बरतोरी बलौदाबाजार मुख्यमार्ग से देवकिरारी मार्ग तक 3 किमी डामरीकृत सह सी.सी. रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

81. राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

82. उच्च शिक्षा हेतु नवीन स्मार्ट शासकीय महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

83. नगर सैनिकों को समान कार्य के लिये समान वेतनमान दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

84. राज्य के अधूरे आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

85. राज्य में आगंनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के पदों को भरने का कोई उल्लेख नहीं है।

86. प्रदेश में निजी बैंकों से लिए कर्ज में छूट प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है ।

87. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल छिन्दपुर को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

88. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के पेण्डरवा से नेशनल हाइवें धौराभाठा तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

89. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा परसदा तिफरा से बोदरी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

90. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के मोहतरा से खपरी पहुंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

91. जिला बिलासपुर, विकासखंउ बिल्हा में बिल्हा मेनरोड से जोगीदीप नाला होते प्रताप सायकल स्टोर तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

92. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के नगपुरा से उढहा पहूंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

93. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के सेवती से बोहराडीह पहूंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

94. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा डोकलाडीह से ताला पहूंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

95. विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली के नयापारा मुण्डादेवरी में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

96. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम अमलीडीह में नया राशन दुकान खोलने का उल्लेख नहीं है।

97. जिला बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा के ग्राम मुरकुटा में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

98. सम्पत्ति कर 50 प्रतिशत कम करने का उल्लेख नहीं है।

99. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल ककेडी को हायर सेकण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

100. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के हाईस्कूल पथरिया को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

101. प्रदेश में कृषि मण्डी कर समाप्त कर वसूली किए जाने का उल्लेख नहीं है।

102. प्रदेश में किसान आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।

103. राज्य के प्रत्येक विकासखंड में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने व अनुदान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

104. टोकन जारी करने के बाद भी जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है उनका धान खरीदे जाने का उल्लेख नहीं है।

105. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

106. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुणा मुआवजा कब तक दिया जायेगा उसका उल्लेख नहीं है।

107. मनरेगा के कार्य से कृषि लागत कब तक कम किया जावेगा उसका उल्लेख नहीं है।

108. राज्य में पूर्ण शराबबंदी कब तक किया जायेगा उसका उल्लेख नहीं है।

109. महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज कब तक माफ किया जावेगा किया जायेगा उसका उल्लेख नहीं है।

110. 60 वर्ष से अधिक के नागरिक को एक हजार व 75 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह व विधवा को 1 हजार प्रतिमाह कब तक दिया जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।

111. अनियमित संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जावेगा उसका उल्लेख नहीं है।

112. शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।

113. थानों में महिला सेल व महिला अपराधों की स्वतंत्र जांच का उल्लेख नहीं है।

114. विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली के ग्राम सिलतरा में 33/11 के.व्ही. स्टेशन स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

115. जिला बिलासपुर के विकासखंड बिल्हा अंतर्गत ग्राम दगोरी में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

116. जिला बिलासपुर के विकासखंड बिल्हा अंतर्गत चिरैया में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन स्थापित किए जाने का उल्लेख नहीं है।

117. पथरिया बैराज व केनाल के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

118. जिला मुंगेली अंतर्गत मनियारी बैराज व केनाल के अपूर्ण कार्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

119. मुंगेली जिला अंतर्गत मदकू नल जल योजना को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

120. बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पासीद मंगतर सामुदायिक नल जल योजना को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में मनरेगा योजना में लंबित सामग्री भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को लाभ दिलाने किसी योजना का उल्लेख नहीं है ।
3. प्रदेश के हर जिले में फूडपार्क स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर आधा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश में दो साल का बकाया बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत नवागांव में लिफ्ट ऐरिगेशन से सिंचाई हेतु प्रावधान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. राजनांदगांव जिले के ग्राम नवागांव (मुढीपार) में मुढ़ीपार बांध के टूटे हुए बांध की मरम्मत किये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. राजनांदगांव जिले की ग्राम पटेवा विधान सभा क्षेत्र डोंगरगढ़ में निर्माणाधीन कलडबरी, घुमका, पटेवा रोड़ चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि के लंबित मुजावजा का शीघ्र भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. राजनांदगांव जिले की छुईखदान नगर में सन् 1950 से स्थापित बुनकर सोसाइटी हाथकरघा समिति को जीर्णोद्धार किये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत जंगलेश्वर जिला व जनपद पंचायत राजनांदगांव के मोखला एनीकट काजवे प्रोटेक्शन कार्य किये जाने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के दस लाख बेराजगारों को न्यूनतम 2500/–रूपये प्रतिमाह दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में सर्व वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 1500 रूपये पेंशन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश में महिला स्वसहायता समूहों की कर्ज माफी किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

16. प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. राजनांदगांव जिले के बुड़ा सागर के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. राजनांदगांव जिले में दो से ढाई वर्षों से निर्माणाधीन दिग्विजय स्टेडियम निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. राजनांदगांव जिले में स्थापित बी एम सी मिल को चालू करने की घोषणा के बावजूद पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

20. जिला राजनांदगांव के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता हेतु तृतीय एवं चतुर्थ किश्त भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

21. जिला कबीरधाम में कर्रा नाला बैराज के विस्तार एवं जीर्णोद्धार संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

22. राजनांदगांव जिले में मृत प्राय भानपुरी डायर्वसन योजना को पुनर्जीवित कर लगभग 40 गांवों को सिंचाई व्यवस्था किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

23. राजनांदगांव नगर निगम को अमृत मिशन के तहत् खरखरा बांध से जल प्रदाय करने के संबंध में जल संशाधन विभाग द्वारा सर्वेक्षण हेतु कार्ययोजना क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश में लोकपाल अधिनियम लागू कर मुख्यमंत्री, मंत्री एवं सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश में अवैध कटाई रोकने एवं वन क्षेत्र को घटने से रोकने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में नक्सलवाद के विरूद्ध निर्णायक एवं चरणबद्ध कार्ययोजना क्रियान्वयन संबंधी कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश में बुनकरों एवं शिल्पकारों के आर्थिक उन्नयन हेतु सुनिश्चित कार्य योजना बनाकर, अनवरत रोजगार मुहैया कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में लूट , हत्या, बलात्कार, चोरी , डकैती, गांजा तस्करी के प्रभावशाली रोकथाम हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में मानव तस्करी रोकने के उपायों एवं प्रतिबंधात्मक व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

30. राजनांदगांव जिले में ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण हेतु लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु अतिरिक्त व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

32. प्रदेश में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितिकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

34. राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा नर्मदा सड़क चौड़ीकरण का विगत दो वर्षों से संचालित कार्य शीघ्र पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश की तहसील कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु किसी विशेष कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
3. राजधानी रायपुर के पंजीयन कार्यालय को निजी कंपनी को आवश्यक कार्यों को कम्प्यूटरीकरण करने हेतु ठेके पर दिये जाने के बाद भी आज भी व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधार किये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के प्रमुख पुलिस ग्राउन्डों को सुव्यवस्थित रखने एवं खिलाड़ियों हेतु आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के प्रमुख व्यवसायिक स्थलों, बस अड्डों, प्रमुख मार्गों में पुरूषों एवं महिलाओं हेतु निःशुल्क सुलभ शौचालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की राजधानी रायपुर में आसपास के क्षेत्रों से आने–जाने वाले यात्रियों के लिए शहरी सार्वजनिक यातायात के साधनों की वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में रोजाना, कमाने खाने आने वाले श्रमिकों को आवागमन के साधन (शहरी यात्री बस सेवा) उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में महिलाओं की सुविधा हेतु प्रत्येक तहसील, विकासखण्डों में महिला थाना स्थापना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के गृह विभाग की साईबर क्राईम शाखा को नियमानुसार पदोन्नति , समयमान वेतनमान दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. साईबर क्राईम शाखा के कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश की राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों में सी सी टी वी कैमरे बंद पड़े हैं, सुधार कर चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के तहसील कार्यालयों/पंजीयन कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने के कारण अवैध प्लॉटिग, धोखाधड़ी के मामलों को रोकने हेतु किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

13. प्रदेश के पुलिस थानों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं पानी, बैठने की सुविधाओं को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

14. प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा स्थापना के समय ली गई अनुमति और उसके बाद निरंतर किये गये विकास कार्यों के कारण बच्चों के प्ले ग्राउन्ड समाप्त कर दिये गये हैं, स्कूलों पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।

15. प्रदेश के थानों में पेंडिंग प्रकरणों के निपटाने हेतु कम्प्यूटरीकरण कर यथाशीघ्र पेंडिग मामलों को निपटाने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

16. प्रदेश के प्रत्येक जिलों, तहसीलों में एक–एक साईबर क्राईम ब्रांच की स्थापना कर साईबर थाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

17. प्रदेश पुलिस में साईबर क्राईम ब्रांच तहसील, विकासखण्ड में आरंभ किया जाने का उल्लेख नहीं है।

18. कुपोषण से मौतों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के नियमितिकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार देने किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश के शिल्पकारों एवं बुनकरों के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

23. राजधानी रायपुर के यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश के हर जिले में दुग्ध चिलिंग प्लांट व चिलिंग दुग्ध वाहन देने के वादे को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

25. मोबाईल पशु चिकित्सा ईकाईयां स्थापना का उल्लेख नहीं है।

26. कौशल उन्नयन के तहत प्रशिक्षितों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

27. प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में छात्रावास आरंभ करने का उल्लेख नहीं है।

28. निःशुल्क तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

29. दिव्यांगों के विकास के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

30. प्रत्येक परिवार को 1 रूपये की दर पर 35 किलो चांवल देने का उल्लेख नहीं है।

31. सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने का उल्लेख नहीं है।

32. हर ब्लॉक में 100 एकड़ बंजर भूमि की पहचानकर उद्यानिकी की योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

33. प्रदेश में उद्यानिकी नीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्यानिकी के लिए प्लक टाईप सीडलिंग यूनिट स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

35. जैविक कृषि के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

36. कृषि औद्योगिक निगम के गठन का उल्लेख नहीं है।

37. अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

38. दो वर्ष में कितने विभागों में घर पहुंच सरकारी सेवाएं प्रारंभ की गई इसका उल्लेख नहीं है।

39. विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

40. विद्यार्थी कल्याण योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

41. राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लिए किसानों के कर्ज मुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

42. चिकित्सा महाविद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश के भू–जल स्तर में वृद्धि किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

44. लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ियों की जांच एवं सुधारने का उल्लेख नहीं है।

45. जल उपभोक्ता समितियों को अधिकार एवं चुनाव कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

46. कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास आरंभ करने का उल्लेख नहीं है।

47. हर गांव में महिला सामुदायिक भवन के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

48. अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास हेतु विशेष योजना का उल्लेख नहीं है।

49. 100 प्रतिशत बाल टीकाकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

50. कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित लोगों के उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने जाने का उल्लेख नहीं है।

51. पत्रकारों को सस्ते दर पर आवास एवं पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

52. रायपुर शहर की गंदी बस्तियों के विकास हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

53. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में घर बनाने के लिए भूमि आबंटन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

54. सभी जिलों में कन्या पॉलिटेक्निक एवं आई टी आई स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

55. ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक वर्ष 4 गैस सिलेण्डर मुफ्त प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

56. राज्य के प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
57. अनियमित शासकीय कर्मचारियों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
58. प्रदेश में सुसज्जित खेल परिसर निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
59. महिला एवं पुरूष कोच की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
60. सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त किये जाने का उल्लेख नहीं है।
61. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
62. खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
63. भारत भवन के मॉडल पर 4 बड़े केन्द्रों की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
64. प्रदेश को रेत माफिया से बचाने का उल्लेख नहीं है।
65. प्रदेश में अपहरण उद्योग की भांति बढ़ता जा रहा है, लगाम लगाने का उल्लेख नहीं है।
66. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने का उल्लेख नहीं है।
67. मजदूर कल्याण की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
68. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कलेक्टर दर पर मजदूरी दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
69. प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष उपायों का उल्लेख नहीं है।
70. अधिवक्ता कल्याण योजना का उल्लेख नहीं है।
71. अधिवक्ताओं हेतु ग्रुप हाऊसिंग योजना का उल्लेख नहीं है।
72. नदियों के कटाव को रोकने का उल्लेख नहीं है।
73. भाठागांव, रायपुर में स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
74. पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
75. मनरेगा से कृषि कार्य को जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
76. वर्ष 2021 के राजीव न्याय योजना के पैसे किसानों को देने (कबतक देने) का उल्लेख नहीं है।
77. प्रदेश में मानव तस्करी को रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।
78. वनों की अवैध कटाई को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
79. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पौष्टिक आहार योजना का उल्लेख नहीं है।
80. प्रदेश में शराबबंदी किये जाने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
81. महिला उत्पीड़न रोकने व महिला सुरक्षा के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
82. शासकीय कर्मचारियों के पदोन्नति, क्रमोन्नति, चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

83. संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

84. वृद्धावस्था पेंशन योजना में राशि वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

85. 75 वर्ष से अधिक उम्र क नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

86. सर्व विधवा पेंशन योजना का उल्लेख नहीं है।

87. महिला स्व सहायता समूह के कर्जमाफी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

88. महिला स्व सहायता समूहों को धोखाधड़ी से बचाने सख्त नियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

89. मनरेगा विस्तार किये जाने का उल्लेख नहीं है।

90. शिक्षित क्षेत्र दोगुना करने का उल्लेख नहीं है।

91. 200 फूड पार्क की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

92. कामधेनु सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिला में सरकारी दुग्ध समिति की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

93. किसानों के मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण माफ करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

94. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।

95. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

96. 2500 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

97. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों के मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

98. नक्सल समस्या हल करने कोई नीति का उल्लेख नहीं है।

99. गजराज योजना का उल्लेख नहीं है।

100. जामवंत योजना का उल्लेख नहीं है।

101. पर्यटन के विकास की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

102. राजधानी विकास के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

103. दिव्यांगों के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

104. आउटसोंसिंग पूर्णतः समाप्त करने किसी नीति का उल्लेख नहीं है।

105. स्कूली छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण करने का उल्लेख नहीं है।

106. कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

107. निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से पैसे की वापसी कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

108. शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

109. कचरा मुक्त शहर के लिये किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

110. पुलिस कल्याण की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

111. पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

112. नगर सैनिकों के वेतनवृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

113. शासकीय राजीव पाण्डेय महाविद्यालय भाठागांव, रायपुर के भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

114. मठपुरैना में 100 बिस्तर अस्पताल खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

115. किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

116. आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन देने का उल्लेख नहीं है।

117. किसानों की ऋण माफी किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

118. कृषि उपज मंडियों में एम एस पी में किसानों के धान खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

119. घर घर रोजगार, हर घर रोजगार के दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

120. यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।

121. अंधाधुन्ध वनों की कटाई की रोकथाम किये जाने का उल्लेख नहीं है।

122. 10 लाख युवाओं के सामुदायिक विकास के वादे के लिये कुछ प्रावधान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

123. ग्रामीण एवं शहरी आवास उपलब्ध कराने में असफलता का उल्लेख नहीं है।

124. बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
2. मुंगेली जिला में लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, पी.एम.टी., पी.ई.टी. कोचिंग सेंटर प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है ।
3. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र की स्कूलों का उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है ।
4. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. कालाबाजारी एवं स्टाक लिमिट के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
6. राज्य के प्रत्येक घरों में कोठा निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
7. राज्य में तीर्थ दर्शन योजना का उल्लेख नहीं है।
8. समस्त शिक्षाकर्मियों के नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।
9. मुंगेली जिला अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों/स्टाफ की भर्ती एवं सीटी स्कैन तथा अन्य आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
10. मुंगेली जिला के सेतगंगा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के पुरानी/खराब सड़कों के नवीनीकरण एवं संधारण करने का उल्लेख नहीं है।
12. मुंगेली जिला में उद्योग की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का उन्नयन एवं भवनविहीन स्कूलों के नवीन भवन निर्माण करने का उल्त्लेख नहीं है।
14. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
15. हत्या, लूट, डकैती, यौन अपराध, गांजे तथा शराब की अवैध बिक्री को लेकर शासन गंभीर नहीं है।
16. शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते एवं अन्य स्वतत्वों को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
17. उद्योगों द्वारा किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

19. महिलाओं एवं बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में शासन गंभीर नहीं है।

20. प्रदेश के किसानों की समस्याओं के प्रति शासन गंभीर नहीं है।

21. प्रदेश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है।

22. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु खुटिया बांध को नहर के रूप में जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के समस्त शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

24. नगर सैनिकों के वेतन बढ़ाने एवं लंबित एरियर्स भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

25. पंचायत सचिवों की परिवीक्षा अवधि के उपरांत नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. फर्जी चिटफंड कंपनी से पीड़ित लोगों के पैसा वापसी का कोई उल्लेख नहीं है।
2. हिन्दी ग्रंथ अकादमी के उत्थान हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में नये पूंजी निवेश के संबंध का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. नक्सली समस्या के निराकरण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
6. लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में धर्मान्तरण की बढ़ रही घटनाओं को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. सुपेबेडा में जल प्रदाय योजना प्रारंभ किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में नरवा, गरवा, धुरवा, बारी, के लिए कोई बजट प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में कौशल विकास योजना के सुचारू संचालन हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. छत्तीसगढ़ राज्य आजिविका मिशन "बिहान" को सरल ऋण उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
12. उद्योगविहीन जिलों के औद्योगिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
13. पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के पचास हजार से ज्यादा किसान धान बेचने से वंचित हो गये उनके धान को खरीदने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में सड़कों की स्थिति जर्जर हो रही है उनके रखरखाव हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
16. सरकार के लगातार घट रहे पूंजीगत व्यय हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
17. कुरूद विधानसभा क्षेत्र के मेगाफूड पार्क बगौद के विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में कोविड से मरने वालों के गलत आंकड़े जारी करने के संबंध में कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की लंबित मांगों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
20. पंचायतों कर्मियों की लंबित मांगों को पूरा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

21. स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के किसानों को हो रही नकली खाद बीज एवं दवाई की सप्लाई को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
25. मनरेगा की मजदूरी भुगतान समय पर करने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में अमृत मिशन लक्ष्य योजना को लक्ष्य तक पहुचाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुघर्टनाओं को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश की संरक्षित जनजाति कोरवा पर हो रही प्रताड़ना की घटनाओं को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश की स्कूलीय शिक्षा एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा के सुचारू संचालन हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
31. कोविड के मुफ्त टीकाकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश में हाथियों के बढ़ रहे आंतक को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
33. रेत माफियाओं के आंतक रोकने हेतु योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
34. अवैध रेत उत्खनन रोकने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
35. रेत के मनमाने मूल्य पर नियंत्रण हेतु कार्ययोनजा का कोई उल्लेख नहीं है।
36. सड़क में चल रहे भारी वाहनों पर नियंत्रण हेतु कड़े प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है।
37. तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दो वर्षो का बोनस नहीं मिला है उनको बोनस दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
38. मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के पैसे पंचायतों को प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश में बढ़ रहे अवैध कब्जे को रोकने के बारे में उल्लेख नहीं है!
40. प्रदेश में प्रतिदिन बढ़ रहे कर्जो को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
41. राजधानी रायपुर में अवैध प्लाटिंग की घटनाओं को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
42. स्मार्ट सीटी परियोजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
43. जल जीवन मिशन समय पर पूरा करने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

44. किसानों को अस्थायी कनेक्शन देने में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

45. किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

46. कोविड काल में क्वारेनटाइन सेंटरों में मृत्यु एवं भ्रष्टाचार रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

47. संपत्ति कर आधा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में बढ़ रहे सायबर अपराध को रोकने का उल्लेख नहीं है।

49. मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि समय पर उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।

50. प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में बढ़ रही नशे की तस्करी रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण को रोकने हेतु प्रभावी कदम का कोई उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश में शराबबंदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश में कोविड के संबंध में फैलाये जा रहे भ्रम को दूर करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री ननकी राम कंवर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पुलिस, यातायात एवं आबकारी विभाग में हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
2. जिला कोरबा के कोरबा शहर एवं कई ग्रामों के खसरा एवं रकबा दूसरे स्थानों में शिफ्ट किए जाने के कारण आ रही दिक्कतों को दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
3. 14 वें वित्त आयोग में पंचायतों को आबंटित राशि गौठान में खर्च करने कारण पंचायातों की राशि में हो रही कमी के कारण पंचायतों के विकास कार्यो में आ रही दिक्कतों को दूर करने का उल्लेख नहीं है ।
4. मनरेगा की राशि गौठान में लगाये जाने के कारण मजदूरों के मजदूरी भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर करने का उल्लेख नहीं है ।
5. वर्ष 2021 में धान खरीदी के समय पंजीकृत रकबा में कटौती कर कम धान खरीदी के कारण किसानों को फसल व्यापारियों को बेचा गया। किसानों की पूरी फसल खरीदने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
6. धान बेचने हेतु अनावारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पटवारी द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के गांवों में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्यवाही न किये जाने के कारण अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के रेत माफियाओं द्वारा रायल्टी से कई गुना ज्यादा की खरीददारों से ली जा रही राशि की वसूली को रोकने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के आबकारी विभाग की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में पटवारियों द्वारा नामांतरण, सीमांकन फौती दर्ज करने एवं बटवांरा हेतु लिए जा रहे रिश्वत को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. लोकपाल में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को रखने का उल्लेख नहीं है ।
2. ऑटो रिक्शा से प्रदूषण कम करने हेतु उपाय का उल्लेख नहीं है ।
3. असमय बारिश से नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि देने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।
4. किसानों के आत्महत्या के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
5. रेत घाटों में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में काई उल्लेख नहीं है ।
6. भू–माफियाओं के आतंक से रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
7. पूर्व में चल रही योजनाओं को बंद करने संबंधित कोई उल्लेख नहीं है।
8. रोजगार सहायकों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
9. तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
10. पुलिस परिवारों को पेंशन में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
11. धान खरीदी में व्याप्त अन्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
12. महिलाओं के देर रात्रि यात्रा हेतु विशेष तकनीकी से लैस वाहन की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. समस्त सरकारी सेवाओं का लाभ घर पहुंच सेवा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
14. कचरा मुक्त शहर बनाने में असफल रही ।
15. चिटफंड कंपनियों से पूरा पैसा वापस कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त परिवहन हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
17. शासकीय विभागों में 1 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग को बंद करने का उल्लेख नहीं है।
19. दिव्यांगों हेतु पर्याप्त सम्मानजनक पेंशन राशि देने का उल्लेख नहीं है।
20. पर्यटन को उद्योग का स्वरूप देने का उल्लेख नहीं है।
21. पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मास्टर प्लान का उल्लेख नहीं है।
22. लावारिस मवेशियों से किसानों की फसलों के सुरक्षा की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
23. इंटरजेक्शन इक्विटी के सिंहघाटों के आधार पर नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।
24. तेंदूपत्ता संग्राहको हेतु किसी नवीन योजना का उल्लेख नहीं है।

25. जंगलों को वाइल्डलाईफ कॉरीडोर से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
26. नवीन वन्य जीव अभ्यारण बनाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
27. अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त धन राशि का उल्लेख नहीं है।
28. राज्य के वकीलों, डाक्टरों, पत्रकारों के हितो के संरक्षण के लिये विशेष कानून का उल्लेख नहीं है।
29. प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास हेतु एक करोड़ रूप्ये देने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में पेयजल व्यवस्था के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।
31. गोठान योजना पुरी तरह असफल रही।
32. ग्रामीण क्षेत्रों से सम्पत्ति कर समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
33. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने फीस नियामक आयोग गठन करने का उल्लेख नहीं है।
34. विद्या मितानों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
35. नक्सली समस्या के समाधान के लिये नीति का उल्लेख नहीं है।
36. भाटापारा से नारायणपुर और नांदघाट तक वृक्षारोपण का उल्लेख नहीं है।
37. पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी योजना में सफलता का उल्लेख नहीं है।
38. प्रत्येक विकासखण्ड में ब्लड बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।
39. 1 लाख रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
40. दो वर्षो के बकाया बोनस राशि अभी तक पूरा प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है।
41. 108 वाहनों की संख्या बढ़ाने और नक्सली क्षेत्रों में विस्तार का उल्लेख नहीं है।
42. बेराजगारी कम करने रोजगार सृजन का उल्लेख नहीं है।
43. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अनुदान और रोजगार का उल्लेख नहीं है।
44. दैनिक मजदूर कामगारों को सम्मानजनक आय सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।
45. महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
46. पुलिस परिवारों को आवास और पेंशन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
47. घर–घर रोजगार हर घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।
48. धान खरीदी में अन्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
50. किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं करने का उल्लेख नहीं है।
51. किसानों को पूरी उपज की खरीदी नहीं करने का उल्लेख नहीं है।

52. धान खरीदी योजना सफल नहीं होने का उल्लेख किया है।

53. प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

54. सम्पत्ति कर को आधा करने का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश के बेरोजगारों को 2500 रू. बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

56. रोजगार आयोग गठन का उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश के संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

58. आरक्षकों को वेतन ग्रेड 2400 करने का उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश में शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।

60. 60 वर्ष के किसानों को 1000 रू. व 75 वर्षीय किसानों को 1500 रू. पेंशन का उल्लेख नहीं है।

61. शहरी नागरिकों को आवास की सुविधा का उल्लेख नहीं है।

62. चिकित्सा के क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

63. महिला स्वसहायता समूह के ऋण माफी की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

64. भाटापारा में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश में गौठान की उपलब्धता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

66. प्रदेश में प्रशासनिक लाचारता एवं व्याप्त अराजकता की रोकथाम के लिये कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश के किसानों का पूरा धान नहीं बिक पाया खरीदी हेतु समय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

68. शिक्षाकर्मियों के वेतन विसंगति दूर करने का उल्लेख नहीं है।

69. जाति एवं जन्म प्रमाण पत्र घर पहुंच सेवा का उल्लेख नहीं है।

70. भूमिहीन परिवारों को कब्जा के आधार पर पट्टा समय पर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

71. शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को दो कमरों का मकान देने का उल्लेख नहीं है।

72. प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर व बाड़ी के लिये जमीन आबंटित का उल्लेख नहीं है।

73. होम स्टेट अधिनियम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

74. नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निशुल्क शिक्षा प्रारंभ का उल्लेख नहीं है।

75. आंगनबाड़ी में बालवाड़ी प्री प्राईमरी स्कूल योजना सभी स्थानों पर प्रारंभ का उल्लेख नहीं है।

76. यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त ईलाज का उल्लेख नहीं है।

77. प्रदेश के अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा देने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

78. फर्जी राशन कार्डो को काटने का उल्लेख नहीं है।

79. प्रदेश में हाथियों हेतु कॉरिडोर स्थापना का उल्लेख नहीं है।

80. स्पॉट बिलिंग योजना का उल्लेख नहीं है।

81. प्रदेश में क्लिकंर को प्रदेश से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख नहीं है।

82. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

83. प्रदेश के किसानों को रियायती दर पर खाद उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

84. प्रदेश में जल संरक्षण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

85. भाटापारा शाखा नहर के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

86. गोबर खरीदी योजना का उल्लेख नहीं है।

87. राजीव मित्र योजना कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

88. 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

89. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

90. सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 1500/– देने का उल्लेख नहीं है।

91. अवैध शराब विक्रय पर कोई प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है।

92. भाटापारा आई.टी.आई. में स्टेनो हिंदी/अंग्रेजी कक्षा शुरू करने का उल्लेख नहीं है।

93. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ठोस नीति का अभाव है।

94. अवैध कालोनाइजर्स पर कोई नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

95. प्रत्येक विकासखंड में कोल्ड स्टोरेज का उल्लेख नहीं है।

96. प्रत्येक विकासखंड में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी हेतु चिन्हीत का उल्लेख नहीं है।

97. चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

98. नदियों के किनारे बसे गांवों में कटाव से नुकसान का उल्लेख नहीं है।

99. प्रदेश के पुलिसिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है।

100. भाटापारा शहर में ऑडिटोरियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

101. किसानों को पंप कनेक्शन में छूट का उल्लेख नहीं है।

102. सभी औद्योगिकी संस्थाओं के बिजली बिल आधा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

103. रागी, कोदो, कुटकी फसल को समर्थन मूल्य में खरीदने का उल्लेख नहीं है।

104. प्राईवेट बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये ऋण माफी का उल्लेख नहीं है।

105. प्रदेश में अवैध वन कटाई के संबंध का उल्लेख नहीं है।

106. भाटापारा को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

107. शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि की गंभीर समस्या का उल्लेख नहीं है।

108. पुलिस भर्ती प्रक्रिया में विलंब और हितग्राहियों के संबंध में उल्लेख नहीं है।

109. महिलाओं से संबंधित अपराधों में स्वतंत्र जांच का कोई उल्लेख नहीं है।

110. महिला सुरक्षा कानून और अपराध नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

111. वन अधिकार पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

112. तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतन मान हेतु का उल्लेख नहीं है।

113. प्रत्येक थाने में एक महिला सेल के गठन का उल्लेख नहीं है।

114. मेडिकल कॉलेजो को मल्टीस्पेशियलिटि अस्पताल बनाने का उल्लेख नहीं है।

115. प्रदेश में गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशों का कारोबार विकसित है जिसके रोकथाम के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

116. छत्तीसगढ़ की सभी विधवाओं को 1000 रू पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

117. महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

118. मांग पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

119. अधिग्रहित की गयी कृषि भूमि के लिये मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से 4 गुना प्रदान करने का उल्लेख किया गया है।

120. पहली जल संसाधन नीति नहीं के संबंध में कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

121. विगत 2 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दुगुना करने का उल्लेख नहीं है।

122. 200 फूड पार्क स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

123. भाटापारा और सिमगा विकासखंड में फूड पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

124. प्रत्येक जिले में दुग्ध समिति की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

125. बिजली बिल वितरण करने वाले कर्मचारियों का दर बढ़ाया जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जिला मुख्यालय जांजगीर नगर से चांपा नगर तक फोरलेन सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. जांजगीर चांपा विधान सभा के ग्राम किरीत से विकासखण्ड मुख्यालय नवागांव तक नहर पार में सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
3. जांजगीर–चांपा विधान सभा के ग्राम बुड़ेना व अवरीद में नवीन धान खरीदी प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. जांजगीर–चांपा विधान सभा के ग्राम नवापारा से ग्राम दहिया तक सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नैला से बलौदा मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हरब्रिज या अन्डर ब्रिज बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. जांजगीर–चांपा विधान सभा के ग्राम हड़हामुहान से ग्राम हरदी (हरि) तक नवीन सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ में आई टी आई प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. जिला मुख्यालय जांजगीर में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हाथीटिकरा के बीच नवीन सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर से ग्राम खोखरा के मध्य नाला व सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिदुड़ ग्राम भैसमुड़ी, रोगदा व घुठिया में हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के थानों में महिला सेल व महिला अपराधों की स्वतंत्र जांच किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है ।

15. प्रदेश के अनियमित, संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

16. 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये व 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह व विधवाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह राशि कब तक दिया जायेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।

17. प्रदेश की महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज कब तक माफ किया जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।

18. राज्य में पूर्ण शराबबंदी कब तक किया जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य का बोनस उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

20. मनरेगा से खेती की लागत कम कब तक किया जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा कब तक दिया जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाने का उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश के किसानों को टोकन जारी करने के बाद भी जिन किसानों की धान नहीं खरीदी गई उन किसानों के धान की खरीदी किया जाने का उल्लेख नहीं है।

24. घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में कोल्ड स्टोरेज खोलने व अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश में किसान आयोग का गठन किया जाने का उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में कृषि मंडी कर समाप्त व वसूली किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. किंलकर को प्रदेश के बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

28. संपूर्ण प्रदेश के गुणवत्ता विहीन राज्य मार्ग निर्माण कार्यों को सुधारने के कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है।

29. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर मानदेय एवं अन्य सुविधायें प्रदाय किया जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

30. जांजगीर–चांपा में हसदो नदी में नये पुल के निर्माण कार्य किये जाने का उल्लेख नहीं है।

31. ठाकुर छेदीलाल महाविद्यालय जांजगीर–चांपा में नवीन भवन निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. गुण्डे नाला में नवीन पुल निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. हाई स्कूल पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त में सायकल देने का उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण किया जाने का उल्लेख नहीं है।

35. जनपदों के सशक्तिकरण हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

36. किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन देने के लक्ष्य का उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश के प्रत्येक जिले में फुडपार्क कब तक स्थापित हो जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।

38. धान से ईथेनाल बनाने पर प्रति लीटर कितना खर्च आयेगा इसका उल्लेख नहीं है।

9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किश्तों के बजाय एकमुश्त राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रत्येक विकासखण्डों में फूडपार्क एवं वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिये निश्चित समय–सीमा निर्धारित किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
3. किसानों से क्रय किये धान का पूर्ण मूल्य एक मुश्त देने का उल्लेख नहीं है ।
4. वनोपज के लिये चयनित स्थलों पर खरीदी सेंटर खोला जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. महिलाओं और बच्चों की बेहतर देखरेख और समुचित विकास के लिये योजनाओं का उल्लेख नहीं है ।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या विकाराल है, उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में सुविधायें प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. शहरी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या के लिये और अधिक सुविधाओं को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. कोरोना काल में जनता को हुई असुविधा के लिये सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का उल्लेख नहीं है।
9. ए.पी.एल. वर्ग के राशनकार्ड धारियों को भी केरोसीन व शक्कर निर्धारित दर पर उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के निराकरण के लिये कारगर कदम उठाने की जरूरत है। बेरोजगारी भत्ते सहित अन्य घोषणाओं को पूरा किया जाने का उल्लेख नहीं है।
11. वन संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाते हुए वन क्षेत्र को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. निरंतर उजड़ रहे वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिये कारगर कदम उठाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सभी पंजीकृत हितग्राहियों को वर्ष भर काम दिलाया जाने व प्रदेश को पलायन की समस्या से मुक्ति दिलाई जाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

14. नये रोजगार के सृजन के लिये सरकार की कोई मंशा प्रतीत नहीं हो रही है, बेरोजगारों के लिये विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है ।

15. सिंचाई के क्षेत्र को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है, किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

16. शुद्ध पेयजल के लिये और अधिक कारगर कदम उठाना आवश्यक है, किसी विशेष योजना का उल्लेख नहीं है।

17. पुलिस कर्मियों के आचरण एवं व्यवहार को और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये विशेष कार्ययोजना की आवश्यकता है, जिससे जनता के बीच उनकी अच्छी छवि विकसित हो सके योजना का उल्लेख नहीं है।

18. खाद्य नीति में सुधार आवश्यक है, ताकि उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल सके, सुधारों का उल्लेख नहीं है।

19. जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के रोकथाम हेतु कारगर कदमों का उल्लेख नहीं है।

20. वनों की अवैध कटाई के रोकथाम हेतु और वन क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु इच्छाशक्ति का आभाव परिलक्षित हो रहा है, विशेष योजना का उल्लेख नहीं है।

10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जिला मुंगेली के लोरमी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
2. लोरमी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सड़कों की मरम्मत कार्यो का उल्लेख नहीं है।
3. जिला मुंगेली के विकासखंड लोरमी अंतर्गत खुडिया में जंगल सफारी बनाने का उल्लेख नहीं है।
4. छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित वनग्रामों में मूलभूत सुविधा एवं निर्माण कार्यो पर लगे प्रतिबंध को हटाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के अस्पतालों में कार्यरत जीवनदीप समिति को आर्थिक मदद देने का उल्लेख नहीं है।
6. बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु सेना से 200 एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
7. जिला मुंगेली के विकासखंड लोरमी में शक्कर कारखाना स्वीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. जिला मुंगेली के नगर पंचायत लोरमी में स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
9. छत्तीसगढ़ में वन्यप्राणियों के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु किसी प्रभावी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. जिला मुंगेली के लोरमी में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. विकासखंड लोरमी की ग्राम पंचायत गोंडखाम्ही को नगरपंचायत का दर्जा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. जिला मुंगेली के गोंडखाम्ही से खुड़िया मार्ग पर मनियारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में शनिचरी बांध गहरीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड स्थित घाटादेई हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के परसदा हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में हाथियों के विचरण के लिये कॉरीडोर निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
5. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम बछौद हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा शासकीय इन्द्रजीत महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के झलमला हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम नरियरा में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में समय–सीमा में फूड पार्क के संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. दाई–दीदी क्लिनिक योजना का जांजगीर–चांपा जिले के नगरीय क्षेत्र में संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जांजगीर–चांपा जिले के नगरीय निकायों में संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा और बलौदा नगर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा तहसील में पंजीयन कार्यालय भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

15. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा एवं बलौदा विकासखण्ड पड़रिया से ढोरला सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. नवम्बर, 2020 के बाद से गोधन न्याय योजना के तहत् लंबित भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. प्रदेश में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को लाभ देने वाली योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

18. बिलासपुर शहर में सीवरेज लाईन चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव ग्राम योजना के अंतर्गत राशि की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में समग्र विकास योजना के तहत् राशि स्वीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में धरसा विकास योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

22. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम पंतोरा के चौकी में अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के बलौदा थाना के अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

24. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के अकलतरा नगर के थाना के अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में ठड़गा–बहरा बांध गहरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

26. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा नगर क्षेत्र के बंधवा तालाब गहरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

27. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ढोरला–परसाहीं सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश नवीन कोयला खदान स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में कोसा उद्यानों में फेंसिंग करने का कोई उल्लेख नहीं है।

30. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में ग्राम करूमहूं से राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश में सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. जांजगीर–चांपा जिले के में ई.एस.के. के अस्पताल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम–जर्वे उद्वहन सिंचाई योजना संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

34. जांजगीर–चांपा जिले बलौदा तहसील स्थित मधाईपुर उद्वहन सिंचाई योजना के संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

35. जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम–पहरिया बलौदा विकासखण्ड में शासकीय महाविद्यालय निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

36. जांजगीर–चांपा में ग्राम चंगोरी से बिलासपुर जिले में ग्राम–लुटरा तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

37. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम–बुड़गहन में धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिका और कार्यकर्ताओं के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।

39. जांजगीर–चांपा ग्राम बलौदा में 132 के.व्ही. केन्द्र की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

40. जांजगीर–चांपा जिले में मोजरबियर पॉवर द्वारा जमीन वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।

41. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के रसेड़ा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क गौरवपथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

42. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील के केशकछार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क गौरवपथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश में निजी बैंकों से लिये हुए कर्ज में छुट देने का कोई उल्लेख नहीं है।

44. जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम–काथन में शक्कर कारखाना खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

45. जांजगीर–चांपा जिले में प्रत्येक विकासखण्ड में दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश के किसानों को रियायती दर पर जैविक खाद उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

47. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा में हाऊसिंग बोर्ड कालोनी निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

48. जांजगीर–चांपा जिले के मयुर सागर परियोजना की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश के कोसा बुनकरों को उत्पादन का समर्थन मूल्य में खरीदी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में जल ग्रहण को बढ़ावा देने का का कोई उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में कुंआ संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।

52. जांजगीर–चांपा जिले में लंबित वन पट्टा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

53. जांजगीर–चांपा जिले में के.एस.के. महानदी संयंत्र द्वारा आदर्श पुनर्वास कानून का उल्लंघन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

54. जांजगीर–चांपा जिले में न्यूवेको विस्टास संयंत्र द्वारा आदर्श पुनर्वास कानून का उल्लंघन किया जा रहा जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

55. जांजगीर–चांपा जिले में सीमेंट कार्ययोजना द्वारा अकलतरा स्थित संयंत्र को चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश में स्वाइल टू सिलक योजना के अंतर्गत बुनकरों को मुफ्त धागा मशीन वितरित करने का उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

58. प्रदेश में नवीन प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश में उज्जवला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस वितरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत् लंबित सामग्री भुगतान को समय–सीमा में करने का कोई उल्लेख नहीं है।

61. प्रदेश में अधूरे आंगनबाडियों को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

62. प्रदेश में स्कूलों में अधूरे मध्यान्ह भोजन कक्ष को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

63. प्रदेश में अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को लंबित मानदेय एवं सैलरी भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

64. रबी फसल में किसानों को बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।

65. पिछले वर्ष धान खरीदी में खराब हुए धान से राज्य को हुए नुकसान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

66. प्रदेश में खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत् अस्पतालों को लंबित भुगतान प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश में उद्योगों द्वारा किसानों की जमीन लेने एवं उसमें उद्योग स्थापित करने के बाद कृषकों को पुनः उनकी जमीन वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।

68. प्रदेश में सोलर योजना के तहत् नेट बिलिंग योजना को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

69. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा और बलौदा शहर में गोठान निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

70. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में हसदेव मिनीमाता परियोजना के तहत् डोंगरी निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

71. जांजगीर–चांपा जिले से बिलासपुर जिले के बीच सोनडीह–ऊनी पुल तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

72. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में कर्रानाला बांध के जीर्णाद्धार एवं गहरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

73. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा एवं अकलतरा विकासखण्ड में परसाही उद्वहन सिंचाई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

74. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में उसलापुर उद्वहन सिंचाई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

75. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम बरगंवा में लिफ्ट एरीगेशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

76. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में ग्राम–बनाहिल में लिफ्ट ऐरीगेशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

77. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में हसदेव मिनीमाता परियोजना के तहत् छीतापानी नहर परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

78. प्रदेश में गुणवत्ताविहीन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।

79. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा नगरपालिका को गौंण खनिज की लंबित राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

80. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

81. किसानों का पूरा बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।

82. प्रदेश में जगह–जगह पशुधन का नुकसान (मौत) हो रही है, बचाये जाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

83. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

84. अवैध रेत परिवहन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

85. किसानों को 2500/– रूपये प्रति क्विंटल राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

86. जांजगीर–चांपा जिले में शासकीय महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

87. प्रदेश में पुलिस बल की भर्ती समय–सीमा में करने का कोई उल्लेख नहीं है।

88. जांजगीर–चांपा जिले से मजदूरों के पलायन को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

89. बिलासपुर संभाग में भारतमाता नवीन राष्ट्रीय राज मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

90. प्रदेश में चौक–चौराहों के घेरे को छोटा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

91. प्रदेश में नदी और नालों किनारे विद्युत लाईन विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

92. जांजगीर–चांपा में राष्ट्रीय राज्य मार्ग के कार्य पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

93. प्रदेश में सोने की खदान प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

94. किसानों को दो साल का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

95. प्रदेश में हीरा खनन चालू करने का उल्लेख नहीं है।

96. ग्रामीण क्षेत्रों में पांच सदस्यीय परिवार को आवास एवं बाड़ी के लिये जमीन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

97. प्रदेश में सीमेंट उद्योग द्वारा प्रदेश के बाहर क्लिंकर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

98. शराबबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।

99. आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

100. बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

101. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण सड़क के संधारण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

102. बे–मौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिये मुआवजा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

103. जांजगीर–चांपा जिले में तिलाई से मुड़पार सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

104. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम–अर्जुनी से कोटमीसोनार सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

105. स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को परिवहन की मुफ्त सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

106. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

107. प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह एक रूपये किलो की दर से 35 किलो चांवल प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

108. प्रदेश में रेत खदानों में निर्धारित सीमा से अधिक और मशीनों से खुदाई की जा रही है, जिसे रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

109. बजट के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

110. रायपुर के स्काई वॉक के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

111. जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा तहसील में नवीन व्यवहार न्यायालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

112. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के अकलतरा हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. इस वर्ष समर्थन मूल्य में धान खरीदी के पश्चात् राजीव गांधी न्याय योजना की राशि कब दी जायेगी इसका उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश की स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
4. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
5. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
6. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर की सड़कों की मरम्मत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के आई.टी.आई. में ट्रेड बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
11. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में उपकोषालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में नया विकासखण्ड खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500/– (पच्चीस सौ रूपये) भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में धान खरीदी की समय–सीमा बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. पैरी उद्‌गम भाढीगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है ।
3. कंदाडोंगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है ।
4. गिरसुल से भंगराजपुर मार्ग पर नाले पर पुल बनाने का उल्लेख नहीं है ।
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन भत्ते बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. मुडागांव (देवभोग) में नवीन हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500/– (पच्चीस सौ रूपये) दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. कसाबाम के पास पैरी नदी पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
9. रसेला (छुरा) में नवीन थाना खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. चीखली और छैला के बीच नाले पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
11. पीपलखुंटा के पास नाले पर पुल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. केन्दूबंद से उड़ीसा सीमा तक सड़क बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
13. छैला से हल्दी घाटी उड़ीसा सीमा तक सड़क बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. सामबनी कछार के पास उदन्ती नदी में पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. मैनपुर ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायत में विद्युत लाईन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
16. खोखमा (ध्रुवागुड़ी) में नवीन थाना खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. मजदूरों के पलायन को रोकने के लिये किसी प्रकार की कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
18. पीपरछेड़ी (गरियाबंद) में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. सुखा नदी अमलीपदर पर पुलिया निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. गोहरापदर में महाविद्यालय भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।
22. देवभोग में सिविल अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।
23. देवभोग में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
24. ऋषीझरन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बेलतरा विधान सभा के करमा से पाण्डेपुर पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बिलासपुर नगर निगम के चाटीडीह रपटा चौक अरपा में पचरी निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. मोपका वार्ड क्रमांक 47 ढाबा से तिरंगा चौक मोपका बाईपास रोड निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के सामान्य वर्ग बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. बेलतरा विधान सभा के ग्राम नेवसा से गढ़वर रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
6. बेलतरा विधान सभा के अंतर्गत सिंघरी ग्राम में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
7. नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 67, सिटी बस स्टाप के पास आ.एच.एस.डी. आवास तक रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
8. बेलतरा विधान सभा नगर निगम क्षेत्र गीतांजली पार्क से मेनरोड के पास नाले तक नाली निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
9. बेलतरा विधान सभा के अंतर्गत बैसा नगोई में बनने वाले नवीन जेल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
10. महिला स्व–सहायता समूहों को धोखाधड़ी से बचाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
11. अमूल मॉडल के अनुरूप प्रत्येक जिले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के लोमरू, कोरवा वन क्षेत्रों में हाथी और वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को नई पीढ़ी के लिये सुरक्षित करने हेतु वैज्ञानिक आयोग की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करके रोजगार बढ़ाने तथा तीन वर्ष के भीतर पर्यटन स्थल को विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

15. शहरी क्षेत्रों के कचरे के निपटारे एवं रिसाइक्लिंग हेतु एस.एल.आर.एम. कार्यक्रम को मजबूत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का घर पहुंच लाभ देने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. बेलतरा विधान सभा के ग्राम गोदईपा हाईस्कूल भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. बिलासपुर के नगर निगम क्षेत्र जोरापारा तालाब का सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. बेलतरा में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. बिलासपुर नगर के सीवरेज कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।
21. बिलासपुर नगर निगम के अमृत मिशन योजना के जल आपूर्ति हेतु अहिरन नदी से खूंटाघाट तक पानी पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।
22. बेलतरा विधान सभा के पौसरा बनियाडीह में विद्युत सब स्टेशन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
23. छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. बेलतरा विधान सभा के मोपका, चिंगराज पारा व सेलर हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
25. किसानों के रकबा कटौती के कारण धान नहीं बेच पाने वाले किसानों के धान खरीदी हेतु अतिरिक्त समय देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के किसानों के बकाया कर्जा को माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
27. आउट सोर्सिंग समाप्त कर एक लाख पदों पर नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
29. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मियों को आवास व इनके बच्चों को शिक्षा हेतु अनुदान देने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री, भंडारण को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
31. नगरीय निकाय क्षेत्रों में सम्पत्तिकर पचास प्रतिशत कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
32. चिटफंड कम्पनी के निवेशकों का रूपया वापस दिलाने का उल्लेख नहीं है।
33. छात्रों को साइकिल एवं छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
34. तेन्दूपत्ता संग्राहक को बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।

35. हाथियों के कारण हो रहे नुकसान व जनधन की सुरक्षा करने एवं मुआवजा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

36. पत्रकारों, वकीलों व डॉक्टरों के संरक्षण के लिये विशेष कानून बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

37. नक्सल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा गंभीर प्रयास करने का उल्लेख नहीं है।

38. लोकपाल जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री को शामिल कर इसके अधीन लाने का उल्लेख नहीं है।

39. 200 फूडपार्क व प्रत्येक विकासखण्ड में फूडपार्क बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

40. महिला स्व–सहायता समूहों को कर्जा माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश में सिंचाई का रकबा दोगुना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

42. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का बाजार मूल्य से चार गुणा मुआवजा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है!

43. 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को एक हजार, 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को पन्द्रह सौ रूपये प्रतिमाह प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

44. शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

45. प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किलो चावल 1 रूपये की दर से देने का उल्लेख नहीं है।

46. बिलासपुर नगर निगम के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में नये क्षेत्रों को शामिल कर क्षेत्र विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

47. किसानों को बोनस प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश के अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500/– रूपये प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

51. किसानों के पम्प कनेक्शन को स्थाई करने का कोई उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश में शराबबंदी कब की जायेगी इसका उल्लेख नहीं है।

53. इस वर्ष की धान खरीदी पच्चीस सौ रूपये कब तक दी जायेगी इसका उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के समस्त ब्लॉक में कम से कम एक फूडपार्क स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में नक्सल गंभीर समस्या है, प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक–एक करोड़ रूपये दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में दिव्यांगों के जन प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस वर्ग से निर्वाचित होने पर महिला, व एक पुरूष दिव्यांग को पंचायतों व नगरीय निकायों में मनोनीत किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश सरकार आउटर्सोसिंग की समाप्ति करके सभी शासकीय विभागों के एक लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
6. प्रदेश सरकार द्वारा विघार्थियों को सुविधाएं हेतु सरकारी स्कूलों के 9 वीं कक्षा के छात्र–छात्राओं को मुफ्त साईकिल एवं कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं हेतु मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
8. पूर्व में प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान एवं कृषकों को मुआवजा राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
9. कोरोना महामारी में जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य को रोकने में शासन असफल रहा है।
10. राज्य सरकार द्वारा सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. राज्य सरकार महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफी, धोखाधड़ी से बचाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने की बातों का कोई उल्लेख नहीं है।
12. चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापसी एवं चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. राज्य सरकार के द्वारा विशेष सुरक्षा कानून वकीलों एवं डॉक्टरों के संरक्षण के लिए बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में श्रमिकों के लिए ईआइएस हॉस्पिटल खोलने का उल्लेख नहीं है ।
3. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
4. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा नेवरा में कॉलेज में एमएससी पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
5. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहयोग हेतु प्रभावी नीति का उल्लेख नहीं है ।
6. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थित जंगलों में जंगली जानवरों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जंगलों में स्थित तालाबों के उचित रखरखाव हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
7. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्रमीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम की उचित व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में संचालित उद्योगों में स्थानीय बेराजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
9. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में खाद नीति में संशोधन नहीं होने के कारण नकली खाद के कारण किसानों को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने की मजबूरी से निजात दिलाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी तथा खून एवं अन्य जांच में क्षेत्रवासियों को हो रही समस्याओं के निजात दिलाने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के मजदूरी भुगतान समय पर एवं लंबे समय से लंबित मजदूरी भुगतान कराने का उल्लेख नहीं है।

12. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य पेंशन प्रतिमाह कराने का उल्लेख नहीं है।
13. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है ।
14. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए आश्रम स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की पदस्थापना किए जाने का उल्लेख नहीं है ।
16. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है ।
17. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित सहयोग का उल्लेख नहीं है।
18. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में संचालित सीमेंट उद्योगों हेतु बायपास सड़क निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
19. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु मानदेय दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
20. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आवश्यक सड़कों के निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।
21. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में नालों पर स्टॉपडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
22. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
23. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित पर्यटन स्थलों तक पहुंचने हेतु सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
24. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
25. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रांरभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
26. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मार्गो पर बसे गांवों हेतु यात्री प्रतीक्षालय निर्माण का का उल्लेख नहीं है।
27. बलौदाबाजर विधानसभा क्षेत्र के गांवों कस्बों में स्ट्रीट लाईट लगवाने का उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
2. पामगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है ।
3. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है ।
5. पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ससहा में पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में नशे की रोकथाम किये जाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
7. पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोगाकोहरौद एवं ससहा की अधूरी सड़क निर्माण को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
8. पामगढ़ विकासखण्ड में नये उपकोषालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत भुईगांव में हाईस्कूल का हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
10. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत तुष्मा में हाईस्कूल का हायरसेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश की स्कूलों में ग्रंथालय के रिक्त पदों को भरने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिये कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जर्जर स्कूल भवनों की सुधारने/मरम्मत कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ससहा, सलखन, मुलमुला में नया महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
15. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत भिलौनी में नया महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

16. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत भिलौनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

17. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत भेऊ की हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

18. पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम खपराडीह में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

19. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत कोसीर में दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

20. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत कोसा में शुद्ध पेयजल के लिये पाईप लाईन विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।